फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

पत्रावली संख्या 05/2024 प्रार्थना पत्र धारा 251 ए

जे.डी.कोर्पोरेशन बनाम राजस्थान राज्य

दिनांक	आदेशिका	हस्ताक्षर/सूचना
20/5/24	अधिवक्ता पत्रावली पेश हुई ।अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित है । तहसीलदार कुम्भलगढ से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई ।अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस मे बताया कि प्रार्थी जे.डी.कोर्पोरेशन अंबिका सोसायटी,अपॉजिट बैंक ऑफ बडौदा,पीटलाद रोड,नडियाद जरिये भागीदार पार्टनर के ग्राम कमोडा पटवार हल्का कडिया तहसील कुम्भलगढ मे स्थित उनकी खातेदारी भूमि आराजी नंबर 1856/1566 रकबा 0.7398 हैक्टेयर भूमि मे आने–जाने हेतु ग्राम कमोडा की बिलानाम भूमि से रास्ता दिलाया जावे नियमानुसार सरकारी शुल्क जमा कराने को तैयार है। तहसीलदार कुम्भलगढ की जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त खातेदारी भूमि मे आने–जाने हेतु ग्राम कमोडा की बिलानाम भूमि आराजी नंबर 225/1 रकबा 1.8252 हैक्टेयर किस्म हकत–3 मे से रकबा 0.0186 हैक्टेयर भूमि का रास्ता सबसे निकटतम रास्ता है । रास्ते हेतु उक्त प्रस्तावित भूमि को दिये जाने की अनुशंषा की है । अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई । बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से सिद्व है कि तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावति रास्ता बिलानाम भूमि से है इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने से रास्ता दिया जाना न्यायोचित है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर तहसीलदार कुम्भलगढ के प्रस्तावानुसार उक्त प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी.दर 525523/–रूपये प्रति हैक्टेयर से भूमि की कीमत 9775/–की दुगुनी कीमत 19550/–रूपये संबंधित मद मे जमा कराने पर उक्त प्रस्तावित भूमि किस्म रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है ।रास्ते की अधिकतम चौडाई 30 फीट है। जिसका प्रयोग सार्वजनिक होगा । तद्नुसार राजस्व अभिलेख मे अंकन एवं अमल दरामद किये जाने हेतु पृथक से आदेश जारी किया जाकर ट्रेस की प्रति के तहसीलदार कुम्भलगढ को पालना हेतु भेजी जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया । उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ जिला–राजसमन्द (राज.) Signature Not Verified Digitally signed by Upendra Kumar Sharma Date: 2024.08.08 16:35:42 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ जिला राज...	